

5/16

पत्रावली पेश हुई। अधिभाषक संघ
द्वारा कार्य स्थगित कर दिया है।
पी. ओ. साहव ^{अधीन} पर है।
पत्रावली आईदा कार्यवाही हेतु
दिनांक 12/4/16 को पेश हो

12/4/16

पत्रावली प्रत्युत वसुलात कीकी 30/4/16
पत्रावली पारित की कि 10/5/16 को पेश हो

9/5/16

पत्रावली आन कोम्पकॉर्ट लालगठ के पत्रा
द्वारा आदि कि। पत्रावली द्वारा लालगठ
की रिपोर्ट के अनुसार मूल सं. 522 को
विधिवत आपसी सहमति से विभाजन किया
जाकर पत्रावली के आन वसुलात किया जा
रहा है। वादी द्वारा चली गई रिपोर्ट के
पत्रावली द्वारा की रिपोर्ट के अनुसार
मिल चुकी है। अतः वादी का वाद आगे
पलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः
वादी का वाद रद्दी कर दिया जा रहा है।
अतः पत्रावली नष्ट हो कर ही का
कार्यवाही पत्रावली है।

मूल सं. नं. 522
का निविष्ट
आपसी सहमति
से विभाजन
किया जाकर
पत्रावली के
अनुसार कार्यवाही
किया जा रहा है।
9/5/16
को लालगठ
केम्प (लालगठ)